भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2525
मंगलवार, 06 अगस्त, 2024/8 श्रावण, 1946 (शक) को उत्तरार्थ

नई बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियां

2525. श्री भारत सिंह कुशवाहः

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने नई बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के गठन के लिए कोई कदम उठाए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) उक्त योजना से किसानों को अन्य अग्रिम एवं पश्चवर्ती लिंकेज प्रदान करने में किस प्रकार लाभ मिलने की संभावना है; और
(घ) उक्त योजना से किसानों को क्या संभावित लाभ होंगे?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (घ): जी हां, मान्यवर । सरकार ने दिनांक 15.02.2023 को देश में सहकारी समितियों के सशक्तिकरण और इसकी पहुंच को जमीनी स्तर तक पहुँचाने की योजना को अनुमोदित किया है । इस योजना में भारत सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं जैसे की डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि (DIDF), राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY), मत्स्यपालन और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (FIDF), इत्यादि के अभिसरण से आगामी पांच वर्षों में देश के सभी पंचायतों/गांवों को कवर करने के लिए नई बहुउद्देशीय पैक्स या प्राथमिक डेयरी/मात्स्यिकी सहकारी समितियां स्थापित करना शामिल है । इस योजना को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD), राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB), राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (NFDB), राष्ट्रीय स्तर के सहकारी संघों और राज्य सरकारों के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है । राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार, इस पहल की शुरूआत से अब तक देश में कुल 2,658 नए पैक्स पंजीकृत हुए हैं ।

पैक्स के आर्थिक कार्यकलापों में विविधता लाकर उन्हें बहुउद्देशीय आर्थिक संस्थान बनाने के लिए मंत्रालय द्वारा आदर्श उपविधियां तैयार की गई हैं जिसके द्वारा पैक्स डेयरी, मात्स्यिकी, गोदामों की स्थापना, खाद्यान्न, उर्वरक, बीजों की खरीद, एलपीजी/सीएनजी/पेट्रोल/डीजल डिस्ट्रिब्यूटरशिप, अल्पकालिक और मध्यमकालिक ऋण, कस्टम हाइरिंग केंद्र, उचित मूल्य की दुकान (FPS), सामुदायिक सिंचाई, व्यवसाय अभिकर्ता कार्य, कॉमन सेवा केंद्र (CSC), आदि सहित 25 से भी अधिक व्यावसायिक कार्यकलाप कर सकते हैं।

यह पहल बहुउद्देशीय पैक्स से जुड़े किसान सदस्यों को कई तरीकों से लाभान्वित करेगी, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i. व्यावसायिक कार्यकलापों के विविधीकरण से उनके बाजार का विस्तार होगा ।
ii. इससे उन्हें अपेक्षित अग्रिम एवं पश्चवर्ती लिंकेज प्राप्त होंगे जिससे वे अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकेंगे ।
iii. इससे पंचायत/गांव के स्तर पर ही किसानों को ऋण एवं अन्य सेवाएं प्राप्त करने में मदद मिलेगी ।
iv. इससे किसानों को आय के अतिरिक्त स्रोत भी प्राप्त होंगे जिसके फलस्वरूप उनके लिए स्थायी आजीविका का सृजन होगा ।

*****